



प्रपत्र संख्या 19  
(नियम 25(2) देखें)  
कर विभाग, नगर निगम, वाराणसी

नौग पत्र सं० AZ0001 (उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 506 के अधीन)

कम्प्यूटर कोड 9999999999

श्री/श्रीमती XXXXXXXX

आपको यह नोटिस दिया जाता है कि वाराणसी नगर निगम आप से भवन सं०XXXXX

के मध्ये देय

21,743 रु० की धनराशि की मांग करती है जो कि दिनांक 01.04.2019 के आरम्भ होने वाली तथा दिनांक 31.03.2020

समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन उगाहे जाने योग्य है और यह कि यदि इस नोटिसके तामिला होने के 15 दिन के भीतर, उक्त धनराशि का भुगतान नगर निगम के कार्यालय में नहीं किया गया या नगर निगम के सन्तोषानुसार भुगतान न किये जाने का पर्याप्त कारण न बताया गया तो व्ययों सहित उक्त धनराशि की वसूली के लिए अभिहरण तथा कुर्की के वारण्ट जारी किये जायेंगे।

बकाया	15,482.00	ब्याज	2,838.00	चालू	3,398.00	शुल्क	25.00	योग	21,743.00
दिनांक	29/02/2020	F/Y	2019-2020						

**आवासीय गृहकर की गणना**

कुल जमीन 1200	तलो की सं० 3	आवासीय निर्मित क्षेत्रफल 3200	कार्पेट एरिया 2560	भवन 5 वर्ष पुराना
सड़क की चौ० 12 मीटर से कम चौड़ाई वाला मार्ग		भवन का निर्माण	पक्का भवन आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित	
मासिक किराये की दर 0.65		भवन का प्रयोग	R/C.	
ग्रास वा०मुल्यांकन = (कार्पेट एरिया X मासिक किराये की दर X 12)		नेट वा०मुल्यांकन	= (ग्रास वा०मुल्यांकन - वर्ष के अनुसार भवन पर छूट / 100)	
ग्रास वा०मुल्यांकन = 19968		वर्ष के अनुसार भवन पर छूट 4992	नेट वा०मुल्यांकन = 14976	

**नोटः**

- 1:- कार्पेट एरिया अथवा कुल आच्छादित क्षेत्रफल (सभी तलो सहित) की दशा में लागू दर का 80 प्रतिशत
- 2:- यदि भवन 10 वर्ष पुराना है तो भवन के ग्रास वार्षिक मुल्यांकन पर 25 प्रतिशत कम।
- 3:- यदि भवन 11 वर्ष से 20 वर्ष पुराना है तो भवन के ग्रास वार्षिक मुल्यांकन पर 32.50 प्रतिशत कम।
- 4:- यदि भवन 20 वर्ष से अधिक पुराना है तो भवन के ग्रास वार्षिक मुल्यांकन पर 40 प्रतिशत कम।
- 5:- किराये पर उठाये गये आवासीय भवन के मामले में उपधारा(1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराना नहीं है तो 25 प्रतिशत और यदि वह 10 वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.50 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना है तो उसका वार्षिक मूल्य उपधारा(1) के खण्ड(ख) के अधिन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

**अनावासीय गृहकर की गणना**

कुल जमीन 1200	तलो की सं० 3	अना०निर्मित क्षेत्रफल 400	भवन का प्रयोग	R/C.
सड़क की चौ० 12 मीटर से कम चौड़ाई वाला मार्ग		भवन का निर्माण	पक्का भवन आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित	
मासिक किराये की दर 0.65		वा०मुल्यांकन = (निर्मित क्षेत्रफल X मासिक किराये की दर X भूखेती का गुणांक X 12)		
नेट वा०मुल्यांकन = 15912		कुल वार्षिक मुल्यांकन (अनावासीय वा० 15912 + आवासीय वा० 14976)		= 30888.00
		गृहकर वा०मू० का 11.00%		रु० 3398.00

रु० 50000.0 वार्षिक मुल्यांकन तक गृहकर 11 प्रतिशत व रु० 50000.0 से अधिक वार्षिक मुल्यांकन पर गृहकर 15 प्रतिशत देय।

कर अधीक्षक